कार्यालय मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

Mail - 3.7.23

एफ0 एसई (आर)/जनरल/2022–23/डी– 988 दिनांक 30/6/2023

अधीक्षण अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
वृतः–..........................(समस्त)

अधिशाषी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग
खण्डः–..........................(समस्त)

विषयः– "Call before u Dig" (CBUD) Mobile App को लागू किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के क्रमांकः प.10(147)नविवि/3/2008 पार्ट–III जयपुर दिनांक 17.5.2023

सचिव, संचार मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय तार (अवसंरचना सुरक्षा) नियम 2022 के कम में संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर राज्य में नगरीय क्षेत्रो में सडकों व अन्य क्षेत्रों में विद्यमान टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में खुदाई/उत्खनन से पूर्व संबंधित राजकीय अथवा निजी एजेन्सी को "Call before u Dig" (CBUD) Mobile App के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि राज्य में नगरीय क्षेत्रो में सडकों व अन्य क्षेत्रों में विद्यमान टेलीग्राफ इन्फ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिगत क्षेत्रों में खुदाई/उत्खनन से पूर्व संबंधित राजकीय अथवा निजी एजेन्सी को "Call before u Dig" (CBUD) Mobile App के माध्यम से अनिवार्य रूप से सूचित करने का श्रम करे एवं संबंधित अधिशाषी अभियंता तखमीना प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण दे कि उक्त सूचना को CBUD में Entry कर सूचित कर दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि तखमीने में सहायक अभियंता/अधिशाषी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की आईडी अनिवार्य रूप से दर्ज की जावें, अन्यथा निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित दोषी अधिकारीयों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

28/6/2023
(संजीव माथुर)
मुख्य अभियंता एवं अति0 सचिव,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,जयपुर।